प्रेसनोट, दिनांक 22.04.2026
थाना सफीपुर, जनपद उन्नाव

महिला की हत्या का आरोपी गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी व क्षेत्राधिकारी सफीपुर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सफीपुर पुलिस द्वारा महिला की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण – दिनांक 21.04.2026 को कमलेश पुत्र छत्रपाल निवासी मो0 सराय मुबारक अली कस्बा व थाना सफीपुर जनपद उन्नाव द्वारा थाना सफीपुर जनपद उन्नाव द्वारा सूचना दी गयी कि उसकी पत्नी उम्र करीब 50 वर्ष का शव जो दिनांक 21.04.2026 को सुबह निहालपुर गांव के पहले अवनीष गौड़ की आम के बाग में मिला था । जिसके सम्बन्ध में जानकारी हुई है की दिनांक – 20.04.26 को पिखी रोड पर देशी शराब ठेका के पास से समय करीब रात 8.30 बजे मेरी पत्नी को उमेश कुमार गौड़ पुत्र ईश्वरदीन गौड़ निवासी ग्राम निहालपुर अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गया था । जिसने मेरी पत्नी की हत्या करके उमेश कुमार गौड़ ने लाश को बाग में छिपा दिया था । प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 207/2026 धारा 103(1)/238 BNS बनाम उमेश कुमार गौड़ पुत्र ईश्वरदीन गौड़ निवासी ग्राम निहालपुर थाना सफीपुर जनपद उन्नाव पंजीकृत किया गया । आज दिनांक 22.04.2026 को थानाध्यक्ष सुव्रत नारायण मय उ0नि0 योगेन्द्र प्रताप सिंह मय हमराह का0 राघवेन्द्र गुर्जर , का0 समर बहादुर , म0का0 सुमन यादव मय चालक हे0का0 रामगोपाल मिश्र के द्वारा वांछित अभियुक्त उमेश कुमार गौड़ पुत्र ईश्वरदीन नि0 ग्राम निहालपुर थाना सफीपुर जनपद उन्नाव उम्र 35 वर्ष को निहालपुर गांव से पहले देवगांव के लिए जो सड़क गई है उस बनी पुलिया पर से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया । जिसने पूछताछ में बताया कि कि मैं, मृतिका से करीब 1 वर्ष से परिचित था। मैं मृतका को शराब पिलाता था तथा आवश्यकता पड़ने पर पैसे मागती थी तो पैसे भी देता था। धीरे-2 मृतका अत्यधिक शराब व पैसे की मांग करने लगी जिससे मैं उसका खर्चा वहन नही कर पा रहा था। दि0 20/4/26 को शाम के मैने अपने मित्र

लाल नाउ के यहां राठौर गेस्ट हाउस में निमन्त्रण में गया था वहां पर मृतका भी आ गई और शराब व पैसे मागने लगी और मुझ पर दबाव बनाने लगी। फिर मै मृतका को अपने साथ मोटरसाइकिल पर बैठाकर देशी शराब ठेका पीखी रोड लेकर आया और एक पैकेट देशी शराब बन्टी बबली ब्राण्ड खरीदी और शराब लेकर मो0सा0 पर मृतका को बैठाकर अपने गांव के निकट अविनाश गौड़ के आम के बाग में पहुचे दोनो ने फिर शराब पी फिर मैने इसको खूब नशे में पाकर मृतका की हत्या कर दी । अभियुक्त को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

उमेश कुमार गौड़ पुत्र ईश्वरदीन नि0 ग्राम निहालपुर थाना सफीपुर जनपद उन्नाव उम्र 35 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थानाध्यक्ष उ0नि0 सुव्रत नारायण
उ0नि0 योगेन्द्र प्रताप सिंह
का0 राघवेन्द्र गुर्जर
का0 समर बहादुर
म0का0 सुमन यादव